विकास विभाग की योजनाएं

पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने एवं गाँवों से पलायन रोकने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास की योजनायें जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से चलाई जा रही हैं। इनमें से मुख्य हैं :—

इन्दिरा आवास योजना

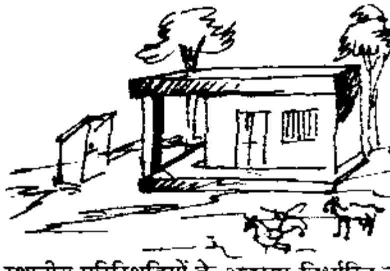

इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को नि:शुल्क आवासीय इकाई प्रदान की जाती है। जिसमें मुक्त बंधुआ मजदूर, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार जो अत्याचार के शिकार हुए हों, दैवी आपदा प्रभावित परिवार, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। घरों का आबंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाता है, विशेष स्थिति में संयुक्त नाम पर आबंटन किया जाता है। मकानों के निर्माण और उसके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लाभार्थी की होती है। योजना के तहत विकास विभाग सिर्फ मकान का नक्शा, आकार और डिजाइन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित करता है। इसमें कुछ फेर बदल की भी स्वतन्त्रता होती है, बशर्ते कि मकान का कुर्सी क्षेत्र (प्लिन्थ एरिया) लगभग 20 वर्ग मीटर हो और इसमें एक रसोई घर, धुंआ रहित चूल्हा और एक स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था हो। योजना को अमल में लाने के बाद एक मकान के निर्माण पर औसत 17000/–रुपये, शौचालय और चूल्हे पर 3000 रुपये की लागत आती है। इस प्रकार कुल 20,000 रु० तीन किश्तों में दिया जाता है।

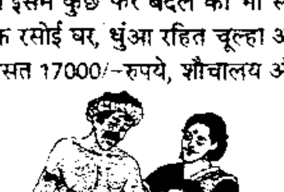

अम्बेडकर गाँवों में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना हेतु प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि में से 22.5% इंदिरा आवास योजना में खर्च किया जाता है।

पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ पाने हेतु ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी (बहुउद्देशीय कर्मी) अथवा विकास खण्ड मुख्यालय पर सम्पर्क करें। जनपद में पात्र लाभार्थियों के चयन का जिम्मा अब ग्राम सभाओं को सौंप दिया गया है। किसी अनियमितता या अपात्र के चयन पर मुख्य विकास अधिकारी (सी०डी०ओ०)। जिलाधिकारी को शिकायत दर्ज करायें। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का रजिस्टर ग्रामवार ब्लाक कार्यालय में होता है। स्तरोन्नयन (झोपड़ी या कच्चे घरों को पक्का करने) के लिये भी रु० 10,000 प्रति लाभार्थी दिये जाने का प्राविधान इसमें किया गया है।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

वित्तीय वर्ष – 1999-2000 में दिनांक 1-4-1999 से भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन कर ''जवाहर ग्राम समृद्धि योजना'' का क्रियान्वयन केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य 75:25 के अनुपात में संसाधनों की भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है।

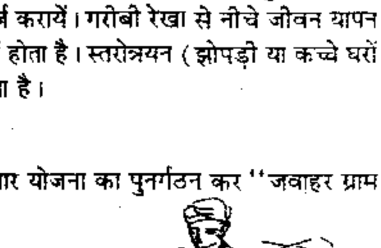

• योजना का उद्देश्य :

(क) ग्राम स्तर पर स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र के लिए निरन्तर रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना है।

• कार्यक्रम की रणनीति : कार्यक्रम का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

• ग्राम पंचायतों को संसाधनों के आवंटन का आधार : केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि सम्पूर्ण रूप से जनपद के समस्त 1016 ग्राम पंचायतों को वर्ष –1991 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। एक हजार से कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत को धनराशि का आबंटन 1000 जनसंख्या मानकर किया जा रहा है तथा अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार ही धनराशि आबंटित की जा रही है। एक वित्तीय वर्ष में सामान्यत: धनराशि का आबंटन दो किश्तों में किया जाता है।

• समाज के कमजोर वर्ग के लिए विशेष सुरक्षा : योजना के वार्षिक परिव्यय का 22.5 प्रशितत अंश अनुसूचित जाति/जनजाति के वैयक्तिक लाभ की योजनाओं हेतु आरक्षित रहेगा, जिसका उपभोग निम्नलिखित परिसम्पत्तियों के सृजन में किया जा सकेगा।

(क) एस०सी०/एस०टी० की निजी भूमि पर कृषि बागवानी, पुष्प बागवान, फलदार वृक्षों का रोपण।